is no statement of the Prime Minister. Therefore, there being no finding by the Prime Minister, the statement made by Shri S. M. Banerjee should go to the Privileges Committee as a fresh issue, and not as an issue that was already disposed of by the Prime Minister.

Mr. Speaker: On that day when the discussion was going on, during the course of it, he made some remarks.

Shri Nath Pai (Rajapur): Sir, now that there is opposition to the motion, your duty is very simple—put it to the vote.

Mr. Speaker: I must give my view. Of course, ultimately, I am in the hands of the House.

श्री अधु लिससे: भाप सदन पर छोड़ दीजिए, ग्राप नर्यों भ्रपने ऊपर ले रहे हैं, जैसे उस दिन नहीं लिया था जैसे ही इस बक्त भी कंजिये। हालांकि उस समय लेना नाहिये था, लेकिन फिर भी भएने भ्रपने ऊपर नहीं लिया, जब कि 1954 की कमेटी की राय बिलकूल साफ थी—

"The presiding authority shall refer the matter to the Chairman of the other House."

तब भी ब्रापने नहीं किया। सब इस को मदन पर छोड़ दीजिए।

Mr. Speaker: It is not a question of putting it before the House. I will give my decision on Monday. I do not want to offend any side but take a correct view. Now, we will take up the Half-an-Hour Discussion.

18.62 hrs.

REPATRIATION OF DR. DHARMA TEJA\*

डा॰ राज धनीहर जोहिया (कशीय) : सम्बद्ध बहोदय, मैं बोड़ से संकट की हालत मैं हूं, जो धनसर हो आया करती है, स्वॉक्ति बगर में स्वतंत्र पार्टी का मदस्य होता, तब मेरा रास्ता साफ़ था धौर मेरे हाथ में कुछ कागब हैं, जिन से मैं तेजा साहब की तरफ़दारों कर सकतर था । उनसे मुझे पांच-चार पत्र मिल चुके हैं—जयन्तों नेजा से । धगर मैं भारतीय कम्युनिस्ट होता, तो भी मेरा रास्ता साफ़ था, क्योंकि वे कागज हैं भारत सरकार की कार्यवाहियों के, जिनसे मैं विलकुल साफ़ तरीके पर तेजा साहब पर चढ़ बंठता । मेरा रास्ता तो सच्चाई का है, इसलिये खुरी की धार की तरह है धौर मैं कोशिश कक्या कि इस सामले की जितने भी सच्चे ढंग से रख सकूं, रखूं।

जो जयन्ती तेजा साहब हैं. उनके खत मिले हैं, उनमें से एक उनकी बीबी श्रीमती रंजीत तेजा का है। मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने मूना है कि एक जमाना था, जब इस देश का हर दरवाजा---मैं गलली कर गया---हर प्रमीर दरवाजा उनके लिये ब्ला रहता था, हर मर्द भीर भीरत बड़े चाव के साथ उनका स्वागत करता था, वह रंजीत तेजा ने मुझको खत में लिखा है---यह लिखा है जुन 14, 1967 को । इस्त तो काफ़ी भेज च्के हैं, मैं समझता हुं भायद उन तक यह बात पहुंच चुकी है कि कम से कम इस मुल्क में एक भादमी है जो कभी एक बीज जो इस्तेमाल अपने स्वार्ध के लिये नहीं करेगा । उन्होंने लिखा है कि--- उनके पनि ने पहले मझ को खबर दी थी, लेकिन मैंने उन को यह जवाब दिया था कि जब तक मुझ को बात नहीं बतायोगे गवाही की, तब तक नहीं मान्ता, पता नहीं क्या लिखते हो, क्या नहीं लिखते हो ।

"Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me in London".

18.05 hrs

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

मध्यक्ष बहोदय, भ्राप चले जा रहे हो, यह मामला बहुत जबरदस्त था, भ्राप ही का था।

"Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me." "मी" माबने रंजोत तेजा जयन्ती, दस्तबात किये है, "रजीन नेजा"

"in London in early September 1966 during which he advised us to stay out of India until after the elections."

मतलब यह कि चुनाव के दिनों में यहां मत रहना । इस मामले में इस सदन में बहुत बहुत हो चुकी है । यह जयन्तों तजा माहब इस देश से इनने घबराने ध्यों रहे हैं । मन अपने खा में यह भी लिख दिया था कि आप लोगों की बात को कोई कैस मान लगा । उनका वाक्य है :--

"I do not see any earthly reason why you would deny seeing me since there was a witness to the meeting."

यानी एक और साहब वहां पर थं, कई देलीफोन वर्गरह से भा बनाया गया । यहां उन्होंने विटनेस का नाम नहीं बताया, लेकिन जब घदालत में मामला जायगा, तब घाजायगा । उन्होंने कहा है कि कई दैलीफोन के खरिये हम से कहा गया कि जब तक हिन्दुस्तान में चुनाव चसते रहें. तब तक तुम लोग हिन्दुस्तान मत आधी।

श्रव मालूम होता है कि श्री मधु लिसये ने जो सवाल उठाया था—एन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट बाला—कि एन्फोर्समेन्ट डिपार्ट-मेन्ट ने 11-12 मई को यांनी पिछलें साल बाहा था कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाय, लेकिन वह गिरफ्तारी नहीं की गई,

क्योंकि एन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट विश्व संज्ञालव का होता है भीर उधर गृह मंत्रालय का भपना सी॰ बी॰ बाई है, दोनों को राय में तफ़ईका हो गया भौर तब एक बैठक हुई भी, जिसमें कि गह मंत्री साहब बद वे जिसमें भीर भी बखे मंत्रियों की राय लो गई होगी, उस बैठक में यह तय हमा कि सभी श्रो तेजा को गिरफ्तार न किया जाय और तब बावजूद इसके कि श्री तेजा के खिलाफ़ मार्च से बारन्ट निकला हबा था, मार्च, 1966 से, यानी घाज है सवा वर्ष पहले से, श्री तेजा को गिरफ्तार नहीं किया गया । गृह मंत्री, उनसे भी बड़े मंत्री भौर सो० बी० भाई०, सी० भाई० बी• वर्ग रह बजाय इसके कि एन्फोर्स मेन्ट हिपार्ट मेन्द्र को कहते कि उनको गिरफ्तार करो, उनको निरक्तार नहीं किया गया।

भी दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वह तो जादूगर मालूम होता है।

डा० राम मनोहर सोहिया: वह जादगर मालम होता है या भरकार मालम होती है ? सरकार जादूगर है और इस हद तक भाग कड़ मकते हो कि मैं भी एक शरीफ़ आदमी है। दो जाइगर जब भाषस में लड जाते हैं भीर एक इसरे की कलई खलने लगती है तो शायद दोनों मेरे पास भाते हैं। एक नो भ्राही गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मामला जरा रंग पकड़ रहा है। मुझे श्रव तक समन्न में नहीं माता—मास्तिर को यह जयन्ती तेजा साहब, जिनके बारे में बद इस सरकार के मंत्रियों ने जो बातें कही हैं. उनकी मैं खाली दो-तीन बातें बताये देता है. जिन्होंने ऐसे काम किये हैं, उनके कहने के मृताबिक फौरन गिरफ्तार होना चाहिये था कौरन यहां बुला लेना चाहिये या, फीरन मुकदमा जलाया जाना चाहिये था । क्योंकि श्री संजीय रेड्डी साहब, को बन बाध्यक्ष हैं. पहले के जहाबारानी के मंत्री वे मौर इस्त्रोंने धगरत 25, 1966 को लोक सजा में औ वाक्य कहा है, मैं-बाभी मुख ही बाक्य बढ़े देता हं---मुक्तिका यह है कि वंदेशी के बीलके

्हें, सभी हिन्दस्तानी शंबेबी में बोलते हैं, बगर गलती हो जाय पढ़ने में, बीर---

"He forged a Resolution of the Company . . . . . .

## . 💰 माने तेजा।

"He forged a Resolution of the Company, gave it to the Company in America and took Rs. 90 lakhs on the basis of a Resolution of the Company to the effect that the money must be handed over to Dr. Teja. not to the Chairman of the Company, not to the Company, but to Dr. Teja. In his personal name, he took the money and put it in the State Bank of India in London. Rs. 20 lakhs withdrawn and Rs. 70 lakhs are still there."

इक ती यह बिलकुल साफ़ चीज है जिसकी कि ग्रमानत में खुयानत, चीरी, लुट, बदमाशी भीर उसके लिये कई दफाएं भी हैं भपने की बदारी हिन्द में भीर ता बीरात में एक यह अवराध है फिर दूसरा अपराध है।

Mr. Deputy-Speaker: The question is regarding his repatriation. Your time is limited.

हा० राम मनोहर सोहिया : प्रव यह रिपैट्येशन इतना साफ़ है। मतलब यह है कि मैं एक खाली मन्नी की जवानी झाप को बतला रहा हूं कि मµमला इतना साफ़ है कमिणन की चोरी है जहाज खरीदने की बोरी है, बाहर से नक़नी द्वंग से जानी दस्तव्यत करने का है। यहां अपनी जो दफाएं हैं और उसके प्रवृतार प्रमरीका में भी दफाएं होंगी क्योंकि चन्तर्राष्ट्रीय कानून के चनुसार जाली वह जानना है कि यह अपराध क्या संमार में सार्वजनिक अपराध है या नहीं । यह पपराध "कई जगह है सेकिन हमारे यहां जो अपराध हैं तो प्राप समझिये यहां दक्षा 465, दक्षा 466 शीर फिरु बक्का 405 मीर 406 मीर प्रस्थनी ऐक्टकी दक्ता 292, 397 मीर 398 है। यह तो श्री संजीव रेड्डी का कागव है जब यह जहाजरानी मंत्री ये फिर भी बढ सारा मामला क्यों नहीं हो पा रहा है वह दो बार यहां भागे मार्च के बाद दोनों बार उनकी बड़ी मासानी से यहां से जाने दिया । फिर वह यहां पर प्राना चाहते थे प्रक्तूबर महीने में । सरकार की तरफ से उनसे कहा गया नहीं तुम चुनाव के दिनों में यहां नव माना हिन्द्स्तान के बाहर रहो तो कहीं कोई बहुत बढ़ा रहस्य का मामला हीता है। भगर जी चिट्ठी मेरे पास माई, वह सब है, तब इसमें कीई शक नहीं। मैं हरगित सभी तक भ्रपना दिमास यह ती नहीं बनाये हुए हुं कि तेजा साहब पिवल हैं। मेरा दिमाग्र भ्रमी तक सिर्फ़ इनना बना है कि तेजा साहब ने रूपमा मारा है, इस में कीई शक नहीं है, लेकिन उसके सांझीदार सरकार के लोग रहे हैं। इनिर्वाद्रयों से इतना साफ़ होता है भीर वे लोग देर कर रहे हैं उनको बुलान में। उनके एक्स्ट्रेडीशन, प्रस्यावर्त्तन, में उनकी गिरफ्तारी में देर नहीं । उनकी गिरफ्तार विल्कुल किया ही नहीं। उसका कारण यही है। धव मैं रंजीन नेजा के बहुत से वास्य पड़ नहीं रहा हूं। धगर पढ़ेगा तो लोग बहुत ज्यादा घबरा आयेंगें, इसलिय खाली जो मुख्य वाक्य है, वह मैं भ्राप को पढ़ कर सुनावे देता हैं। \*\*

वह अपनी तारीफ़ में प्रचार करेंगें ही । नैं मन नाम नगैरह छोड़े देता हूं । उन्होंने महन में नाम लिखा है, एक साहब हैं \*\*

लेकिन चिट्ठी में यह भी है कि मेरे से यह जुने होताचारहा है . . . .

श्री स्रश्चि भूषण बाजवेयी (खारगोत): यह बिट्ठी जाली है। इसके सही होने का सबत दें, वर्ना कोई इस तरीके का जूठा बुब्द नहीं दे सकते ।

भी मच लिमचे (मंगेर) : वह उसे हेंबस पर रखने के लिये तैयार है।

मी जीत अस्य बाखपेती: मैं साबित ककंगा कि यह चिट्ठी जाली है।

भी मधु लिममें : वह घारोप कर रहे हैं कि यह जाजी है अब उनके महत्त कह देने बे वह कैसे जानी हो सकती है?

डा॰ राम मनोहर लोहिमा : यह बहत यंदी जीव है . . . (व्यवयान)

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): The question here is regarding repatriation....

Shri V. Krishnamoorthi (Cuddalore): On a point of order . . . (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: What we are discussing is the question whether Government have failed in parrying on proceedings regarding repatriation of Dr. Teja. That is the only thing before us, and to that extent, I would permit the hon. Member. Beyond that, if the discussion is extended, and if the hon. Member goes beyond the scope of that, I would not permit it.

बीसव सिनये: नहीं इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Mr. Deputy-Speaker: Please conclude now.

डा॰ राम समीहर लोहिया : वही तो कर रहा हं लेकिन यह इस तरह से बार-बार जो कहा जा रहा है कि यह विद्ठी जाली है घौर टीका वा रहा है तो मैं क्याकरूं? लेकिन वै पृष्ठना बाहंगा कि क्या सभी तक कोई नीका प्राया है जब कभी किसी हिन्दुस्तानी या परवेशी से माबित किया है कि मैंने कोई बत या कोई चीव इस्तेमान की है वी बानी है। सैकडों बार ऐंसे बीक्ने घाये हैं। . . .

बी रचवीर सिंह (रोहनक) : आप को बह बाली भेज दी होती बाप ने यह जाजी नहीं बचाई है।

(H.A.H. Dia.) डा॰ राम मनोहर लोडिया : यह स्था बाहियात बातें हैं ?

Dr. Dharma Taja

का मध लिमसे : प्रध्यक महोदय, वह उसे जाली कह रहे हैं वह भारोप कर रहे हैं इसलिये इस पत्र को सदन की टेबल पर रखने दिया जाय . . .

Shri Govinda Menon: On a point of order. The letter which Dr. Rams Manohar Lohia refers to is a letter allegedly written by persons who are being prosecuted ....

एक माननीय सदस्य : पार्टन रशिप हो गयीधायकी।

भी मण् लिमये : बिलकुल नहीं . . .

Shri Govinda Menon: How is that relevant in this discussion?

**७१० राम मनोहर लोहिया : मुझे बोलने** भी दिया जाय । बही मैं बतलाने जा रहा

Shri Govinda Menon: You know that under the relevant rule there shall be no formal motion before the House nor voting. The Member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Therefore, all that I thought would come up would be the question regarding extradition. The word 'repatriation' has been used here instead of that.

The only question is whether regarding extradition or repatriation, vigorous steps are being taken by the Ministry of the Government concersed. I should submit with due deference to Dr. Ram Manchar Lohis that be is travelling far far far off from the matter which is under diseassion...

बी॰ मनु सिनने : विभक्तम नहीं । डा॰ राम मनीहर सोडिया : वें चर्वी पर . बोन प्हा 🖁 . . .

Z2D.I Repairiation of ABADHA 2, 1800 (SARA) Dr. Dharma Teja 7392 (H.A.H. Dia.)

Mr. Deputy-Speaker: At this rate, the hon, Minister will get no time to reply.

श्री शर्व लिमयेः ऐसान करियेगा। इमें श्री सवाल पूछने का प्रधिकार है।

क्षा० राम मनोहर लोहियाः मैं घपनी बात सरम कर रहा हुं।

Mr. Deputy-Speaker: I have already pointed out that the scope of discussion under this rule is very limited. The hon. Member has strayed for so long and covered a very wide ground.

डा० राम मनोहर ले।हिया : मैं बिलकुल मही बोल रहा हूं जो मुझे बोलना चाहिये । मैं जैसा भ्राय समझते हैं भटक नहीं रहा हूं।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should try to conclude now. Otherwise, after half an hour, I shall adjourn the House, and the hon. Member will not get any reply from the hon. Minister.

श्री मधु लिसपे: ऐसा ग्राप नहीं कर सकते। जब मन में ग्राम इस तरह से ऐवरप्टली ग्राप हार्ं की ऐंडजार्न नहीं कर सकते।

Shri Govinda Menon: The hon. Minister is not allowed to reply.

Mr. Deputy-Speaker: Otherwise the hon. Minister would have the right to say that his time is up.

डा० राम मनी गर लं हिया: उपाध्यक्ष महोदय में बिलकुल सबर्जन्ट पर रहा डूं। लेकिन यह जानना बाहता हूं कि यह मामला यह तक क्यों चनता रहा? क्यों गिरफ़्तिरियां नहीं हुई भीर जब वह यहां पर माये ये तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया भीर क्यों मब तक मामला चन रहा है? मुझे कक है कि यह सरकार भमरीका में भी उस मामले को ठीक तरीके से नही क्लायेगी। उस को डर सग गया। मुझे

मह भी तथा है कि यह बात को मेरे पांच लिखा जा रहा है उस का एक मकसब मह भी हो सकता है कि यह लोग कर जार्ज देको तुम्हारा सारा मामला मैं सब खोल कर रखने वाला हूं इसलिये यह भी हो सकता है। कई मतलब हो सकते हैं मह सब उस मामले में था सकते हैं (व्यवकान) इस तरह से मुझे क्यों टोका जा रहा है मब देखिये उपाध्यक्ष महोदय मह लोग किस तरह से मोर कर रहे हैं।

Mr. Deputy-Speaker: The hon, Mem ber has already taken more than 16 minutes.

Shri Govinda Menon; He has taken more than 20 minutes.

डा० राम भनोहर लोहिया: यह मेरा कसूर नहीं है आप इस झुंड को रोकिये जो इस तरह से बार बार टोकाटाकी कर रहा है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने बीजिये।

Shri Govinda Menon: He should not take this opportunity to turn this discussion towards other things.

डा॰ राम मनोहर लोहिया: घव इसका क्या मतलब है कि इस तरह से मुझे कानून मंत्री भी बोलने से रोक रहे हैं?

Mr. Deputy-Speaker: The scope of the discussion is very limited. If the hon. Member does not conclude now, then the other Members would not get any opportunity to put questions.

Shri Govinda Menon: The reference to these things should be expunged.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

डा॰ राम मनोहर नोहिया : मैं कह रहा था....

Dr. Dharma Teja 7394 (H.A.H. Dis.)

Shri Govinda Menen: I am requesting you to stop this, because he is indulging in irrelevant things. Therefore, I am making the request,

Shri Madhu Limaye: The half-anheur discussion is a discussion arising out of the answers to questions.....

उसमें एक सवास यह पूछा गया था कि अयन्ती धर्मतेजा को हिन्दुस्तान से जाने देने में कुछ लोगों की सहायना रही . . . .

Stiri Govinda Menon: All kinds of things are being indulged in.

भी मणु लिलवे : नाथ पाई ने कहा या भीर में बहुत धर्में से प्रारोप लगा रहा हूं। भो पूरा सवाल अवाब होता है तो उसी में से ग्राध पंटेकी बहस उत्पन्न होती है।

Shri Govinda Menon: This is a matter to which we would like to give a reply.

Mr. Deputy-Speaker: Even without the Law Minister's raising a point of order, I reminded him about the scope of this discussion.

बा० राम मनोहर लोहिया: व्यवस्था का प्रका उठा कर मेरा समय खराव किया जा रहा है। ग्राप चाहते क्या है?

Shri Govinda Menon: There should be some rules of debate.

Shri Randhir Singh: Our names are there with you. Let us be given a chance.

डा० राम भरें्द्र रहियाः मैं सन्म कर रहा हूं लेकिन इसके यह माने नहीं कि इस तरह में प्रक्रिया के मामले को घाप जा सकते हैं। मैं एक चोज पढ़ने बाला नहीं था, नेकिन अब तो मैं पढ़ कर चुंचा। यह नहीं हो सकता कि मैं न पर्कें। भी वार्ष करनेंडीच (बम्बई दक्किन) : इस पर बहस होनी वाहिये।

भी प्रति भूषण वाक्येयी: एक संविध्य व्यक्ति जो कि भारत सरकार से बान्टेड है। (व्यवस्थान)। त्या मुलजिमों की चिट्ठियां यहां पढ़ी जायेंगी?

Skri Govinda Menon: The hommember is travelling far beyond the subject under discussion.

भी शक्ति भूवन चाजपेवी: जो भादमी भारत सरकार से वान्टेड है उस की चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं। यह बत नकली है। \*\*

Mr. Deputy-Speaker: This will not be recorded.

श्री सथु तिक्ये: तो क्या हुचा? यह कैंस कहा जा सकता है कि यह जाली खत है यह कहा जा सकता है कि इसमें जो लिखा है वह गलत है।

Several hon, Members rose-

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat. I did not permit Shri Madhu Limaye to make any observations. Dr. Lohia is arguing his point. The time is very limited.

भी सन् लिमये : किम ने समय लिया ? उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

Mr. Deputy-Speaker: Before that, I pointed out . . .

श्रीमयुलिययेः ग्रापने गलतक्षहाहै। मैंबतलारहाहंकि स्था स्कोप है।

Mr. Deputy-Speaker: I reminded him about the scope of this discussion.

भी मनुस्तिमयेः नेरा व्यवस्थाका प्रश्न है। मैं बतला रहा हूं कि स्कोप क्या है। arising out of answers given.

<sup>\*\*\*</sup>Not recorded.

1895 Repairiation of ASADHA 2, 1889 (SAKA) Dr. Dharma Teja 7396-(H.A.H. Dis.)

स्वार्वे स्टेटमेंट-श्री का काता है।

Mr. Deputy-Speaker: No, no.

भी मधु लिससे : नो नो क्या? इस सब्न में कोई निसम है यहीं?

Mr. Deputy-Speaker: If you are ng to question my procedure and decision, I will not allow you to speak a word.

Shri Govinda Menon: On a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Please sit down.

भी मधु लिलमे : स्या विसी बन दिया भाष ने उनका व्यवस्था का प्रश्न मुन लिया। नेरा क्यों नहीं भुना?

Mr. Deputy-Speaker: I am not going to listen to you. Already you have said what you have got to say.

भी मधु लिस्पे : स्यों नहीं ?

Mr. Deputy-Speaker: I have got the rule before me. Every time this is my observation—and the observation of the House—that in the name of a rule or some procedure, you quote extraneous things.

भी मधुलि . ये: मैं ने नहीं कहा है।

Mr. Deputy-Speaker: I am not going te permit it.

भी असु तिअये : बिल्कुल नहीं। इस करह से कभी नहीं होता है। साप बिल्कुल निषम के बाहर जा रहे हैं।

Shrì Govinda Menon: On a point or order.

डा॰ राज शनोहर लेखिकाः यह कानून अंजी है या क्या हैं?

श्री जबु सिलावेः हम को भी प्रक्रिकार है। Dr. Ram Manchar Lohia: "He certainly was one person who knew....

Shri Govinda Menon: On a point of order. He is reading a letter from the accused....

Dr. Ram Manchar Lohia: "He certainly was one person who knew . . .

Shri Govinda Menon: That must be expunged.

श्री मनु लिमये : यह कभी नहीं हो है।

Shri Govinda Menon: I am reising.
a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Please sitdown.

भी त्रिश भूषण आक्रपेबी: मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या इस हाउस में किसी एक्यूक्ड की चिट्ठी पढ़ी जा सकती है? मैं झाप की क्लिंग चाहता हूं। जो बान्टेंड है हमारी सरकार में ....

Shri Govinda Menon: The Government of India are prosecuting Dharma-Teja. We are making attempts to extradite him. Here, Dr. Lohia, without knowing it, has become an agent of Dharma Teja and is utilising this platform, this august assembly, to read out a letter, and making a defence for him.

Shri Piloo Medy (Godhra): The Minister should know that he cannot stand when the Deputy-Speaker is on his legs.

Mr. Deputy-Speaker: A relevant point has been made. He is one of the accused or co-conspirator, whatever you call it. Now the hon. Member is relying on one of the accused in this case. I will not permit him to-read that.

डा० राम मनोहर लोहिया: बाप इसर भी देखिये। यह होंग्ज नहीं हो सकता।

Shri Randhir Singh: He is a discredited person. He can manufacture documents.

(H.A.H. Dis.)

थी गयु क्लिके : साथ वानासाडी पश्चि-कार से रहे हैं।

क्षा॰ राम भनोहर लोहिना : बाप ठंडे मन से सुनिये। मैं घाप की बतला रहा **ਛ** ।

Mr. Deputy-Speaker: I will sit for one hour for a quiet discusion. I will give you more time, but please resume You have raised a halfhour discussion on a question and you wanted to know what steps Government has taken for extradition of this gentleman who is supposed to be an .accused.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मेहर-बानी करके मेरी राय सनिये। प्रगर कीई बादमी दीबी है तो भी उसकी बात सुननी पड़ती है। हर बादमी की बात सुननी पड़ती है।

Mr. Deputy-Speaker: Then, if you come forward with a document from a co-accused, is it permissible? He has said he is a co-accused.

डा॰ राम मनं हर लोहिया: यह ग्राप कहरहे हैं कि वहदोवी है। (व्यवदान)

Mr. Deputy-Speaker: It cannot be cited on the floor of the House, because it has no evidential value, because be is an interested party. Please realise that.

डा॰ राम मनं हर लें।हिया : मैं इस से नतीजें निकाल रहा है।

Mr. Deputy-Speaker: This letter which is supposed to be in his possession is written by one who is a coaccused. Is it true? Then, nothing will go on record so far as this letter is concerned.\*

बा० राम मर्न.हर ले.हिया : यह कैसे .डी सकता है ?

Mr. Deputy-Speaker: I went a dist fication from the Law Minister.

डा॰ रान ननोहर लोहिया : मेरी बाब सन सीजिये ।

Mr. Peputy-Speaker: Is the whole thing sub-judice?

Shri Govinda Menon: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: The whole matter is sub judice.

डा॰ राम म हिर सोहिया: स्या कर. रहे हो ?

भी मचु लिसये : किस नियम के अन्दर यह कर रहे हैं? ....यह तानाशाडी इस सदन में चल रही है। आप को कोई श्राधकार नहीं है।

डा० राम मने।हर लोहिया : क्या मजाक कर रहे ही ?

श्री मध लिमधे : कीन सा नियम है कि यह नहीं आयेगा रेकार्ड में।

इा० राम मनोहर लोहिया : प्रध्यक्ष की कर्सी पर बैठ कर ऐंसा काम कर रहे हो? (व्यवसान)

श्री मच लिमये: भाप नियम ग्रनसार काम कीजिये।

श्री शक्षि भूषम बाजपेयी : यहां परम्ल-जिम की चिट्ठी लाई जाती है। सगर कोई ऐंक्यज्ड है ती उस को सजा होनी चाहिये, यह सारा हाउस डिमान्ड करता है। लेकिन उसकी चिट्टिया नहीं पढ़ी आ सक्सी। (क्यब्यान) जाली चिट्ठी है। (क्यब्यान)

श्री वह सिमधे : प्राप साबित कीजिबे कि: जाली है ।

श्री शक्षि भूषण बाजपेयी : मैं कहने के लिये तैयार ह, शब्यक्ष महोदय । आप . . .

<sup>\*</sup>Please see Cols. 7388 and 7394.

(व्यवधान) मैं साबित करने के लिये तैयार हूं ....(व्यवधान)

डा० राज मनोहर लोहिया: यह मेरा इतना समय निकल गया।

भी क्षति भूषण ताक्षपेयी: यह बहुत बड़ा ग्रन्याय हैं। यह निकासा जनना चाडिये।

डा० राम मनोहर लौहिया: कीई चीज नहीं निकाली जा सकती रिकार्ड में।

श्री मधु लिलवे: हर दफं आप ारकाडं से निकालने की बात कहते हैं।

श्री शक्ति भूषण बाजपेयोः यह तेजा साहव के एवेंग्ट हैं। (व्यवधान) देश का दुश्मन है तेजा। उस की चिट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती है। यह बट्टा गलत कीज है।

भी मधु लिमये: उपाध्यक्ष महोदय, जब वह बोलते हैं तब भ्राप उनको बोलने देते हैं?

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्थाका प्रश्न है ।

Mr. Deputy-Speaker: 1 want a clarification. I would like to know how it is sub judice, (Interruptions). I will hear you, but let me get a clarification.

भी मन् लिसये : इससे क्या फर्क पड़ता है पत्र पढ़ने में कि वह को-एक्यूक्ड है ?

भी शक्षि भूवण बाखपेयां : मैं आपके विकाफ कल दस चिट्ठियां पढूंगा ।

लिमये: पढ़िये न

उपाप्यक महोदय : ग्राइंर, भ्राडंर।

डा० राम मनोहर लोहिया: प्राप उनकी सुनेंगें, हवारी नहीं सुनेंगें। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। विना 923 (Ai) LSD—13. रकावट के जैसे उनकी सुना, बिना रोक टोक मेरी सुनेंगें। मैं भी सुनूंगा। धाप उनको भी रोकेंगें झौर खुद भी रकेंगें।

Shri Govinda Menon: Extradition means this. There are charges and cases in India. Because the accused is not available in India, he should be brought from the United States of America. The question is: Why is he not being brought quickly? Now, Sir Dr. Teja and his friends and his wife ary trying to build up defence against the case and Dr. Lohia. I do not say deliberately or consciously constitutes himself an agent in order to see that that defence is built.... (Interruptions).

This august forum is being utilised by Shri Madhu Limaya and his leader Dr. Lohia or Dr. Lohia and his leader Shri Madhu Limaya; this august forum is being utilised to propagate that defence. That is something which you in the Chair should not allow. These leters, if true, are letters intended to go on record so that when they come here the cases can be defended on the basis of all these allegations.

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): I should like to add to what the Law Minister has stated. The position is that a New Delhi Magistrate has found Dr. Teja and Mrs. Teja prima facie liable or guilty. I do not know the legal parlance and so do not catch me on that of criminal offences. He said that they should brought back to face trial. The judgment of the New Delhi Magistrate had been authenticated by the Embassy here ad it had been flown to the United States. We have filed extradition proceedings. Dr. Teja Mrs. Teja were arrested and released on bail. Further hearing is coming on the 28th June. I do not want to go into all the various things which had been mentioned in this House. 1 am very anxious, as I have no doubt my friends on the opposite side are

. --

740I

agually anxious, we want to see that we bring back Dr. Teja and Mrs Teja as both are accused in this matter .. (Interruptions.) Why do you not isten to me? I am speaking for the arst time. So, we have been taking stens to bring them back. 28th June is the next hearing date. My great fear is this. I would not for moment dream of disputing the authenticity of the letter Br. Lohia is reading before the House, I would not make that charge. I am certain Lobia would not have read that letter unless he is sure of its authenticity. Obviously, it must have been written to him and must have come to him by post.

But what I would like to say is this There may be our own quarrels; that is a different matter. But on one thing we are all agreed; that these people, Dr. Teja and Mrs Teja have committed all sorts of frauds according to the prima facie findings of the New Delhi Magistrate. Civil suits are pending against them. Criminal cases should be taken to their logical conclusion. We cannot do this till we bring them to this country. Without going into the correctness or wrongess of what Dr. Lohia is reading, would most respectfully suggest him that this kind of a debate in this House will be used on the 28th of June. Allegations will be made. There is going to be very strong defence. There is every chance that anything we say in this House, because of our internal differeces which are perfectly legitimate and about which we can argue, and all that Dr. Lohia has read, these allegations and further remarks that come out on account of the heated suchange of words—all these things, I am terribly afraid, may be referred in the extradition proceedings on the 28th June. After all we have no cotrol over the courts of the United tates. The legal position is, the New York Court must be satisfied, that soand eo, so and so is prime facie

guilty. We must also remember this. Incidentally, when Dr. Lohia was read ing that letter, that came out a little bit. If I may anticipate he line of defence that is going to be taken-I may be wrong, and this is my guess-it is going to be this: Here is a great private sector enterprise; somebody who was trying to build up something in the private sector, and all sorts of attempts are being made to stop that. And the sentiment in the United States—the kind of feeling that they have in favour of private enterprise are going to be whipped up, and all these things would be brought in, and things will be confused. I can say with all honesty that I am absolutely anxious, we are anxious, to bring this gentleman and his wife back here, because they had committed offences against the laws of country. We want to try them accordance with the law. We do not want to convict them in their absence. And anythig that we say in this House might militate against that commor objective. Therefore, without into the points of order and so on, on which I know nothing at all-I am a would request Dr. Lohia, let kindly not bring in that letter and things of that all kind, because it is written by a person who is one of the accused, a person whom we are trying to bring back, and who is making allegations. I am not prepared to tall about them just now. When the time comes, we can discuss it, but just now the extradition proceedings are pending. I do not know if it is sub judice and all that. I do not know about the law; my hon. friend the Law Minister knows better.

Dr. Dharma Teja

(H.A.H. Die.)

I would only say that from the common-sense point of view, from the point of view of carrying out the ob jective that we have, namely, to being these people back here, those letter should not be referred to here Afterwards, it is a different matter I will tell you, that when they co guilty of the charges on which the back it will not be a question of with New Delhi Magistrate says they are ing letters; they can say all thes things and more. As far as we are concerned we are anxious that they should come back, and say everything they have got to say. Then they can be cross-examined, and truth will smerge. We are not afraid.

So, my request would be this: Without going into the formalities, I would say this. I am sure not only Dr. Lohia but other hon. Members also must have received letters: letters might have been received by other Members of the Opposition also. He has also written to us, (Interruption) saying that he would like to return vountarily and participate in the civil proceedings. I beg to submit, if I may say so, all this is part of the game which is intended to delay the proceedings and eventually it may even result in defeating the objective.

Therefore, I would earnestly request Dr. Lehia not to mention, not to make reference to the document but to confine his argumet to anything else other than using the material given to given to him by one of the accused.

Shri D. C Sharms (Gurdaspur): A point of order. When the case is sub judice, why was it brought on the floor of the House?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Please resume your seat. I want one clarification from you. If a man is supposed to be the accused, and a ease is registered against him—I am not clear in my mind—and if still the case has not come before the court—

Shri Govinda Menon: It has come. The law is that from the date on which--

Shri Randhir Singh: The Delhi High Court's ruling is that when the name of a person appears in the FIR, from that stage, he is an accused.

Shri Govinda Menon: The moment the charge-sheet is filed before the court, the matter becomes sub-judice. There are decisions which go to this extent: from the day on which the FIR goes to the court, the matter is sub fudice.

Shri Randhir Singh: When the name is mentioned in the FIR, when the police machinery is moving against him, he becomes the accused.

Mr. Deputy-Speaker: I do of know whether the case has been filed. If it is sub judice, it should not be referred here. There, I am correct.

Skri Govinda Monon: Objection was not raised, because we thought that the question would be regarding repatriation.

Shri D. C. Sharma: Why was not the point about sub judice raised when the debate began? That is my question.

Shri Govinda Menon: It was not raised because I thought the discussion will be on the question of repetriction. On the other hand, the discussion has developed into what those people are building up by way of defence being put in the debate.

Shri D. C. Sharme: The whole of this discussion is ultra vires.

Mr. Deputy-Speaker: If a matter is sub judice, we do not allow that to be referred to in the House. (wh we feeth: from the minister?) You Dr. Lohia, have read a part of the letter. After listening to the minister, I feel that if instead of putting it here if you hand it over to Dr. Rae, it will facilitate the extradition and pareplation of the accused. That is my personal view. I am making this request to you.

डा० राज जनीहर लीडिया : उपाज्यक्ष महोदय, मजे तो इससे जिनकुल सस्टी बात कहनी है । सब से पहली बात तो में हु है कि यहां पर चावेश में डाकर शोगों ने कह दिया कि वैसे कोई में इन लोगों की बात को मान कर इनकी तरक से सरकार के जिल्हाक कोई पैरवी कर रहा हूं । बन्धारंग में सर्वातंश [डा॰ राम मनोहर लोहिया]

हूं कि ये लोग तो अपराधी हैं, लेकिन इनके अपराध में सरकार के लोगों को भी शिरकत रही है भीर उस शिरकत को भव छिपाने की कोकिश की जा रही है, जो कि एक बड़ी गन्दी हरकन होगी ।

में बाहता हं कि हम लोग यहां पर जो भी कार्यवाही करें, वह सच्चाई के हक्ष में हो भौर देश के लिये हितकर हो। एक भपराधी है, उस ने व्यापार में चोरी की, उस ने कई तरह के कानुनों को तोडा, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो कुछ मुनाफ़ा हुमा, भगर उस ने उस में से कुछ मनाफ़ा सरकार के कई मंत्रियों को पहुंचाया है और वह बात प्रगर सामने आती है, तो उस से देश का बढ़ा भारी हित होता है । दोनों बातें सामने मानी जाहिए । यहां यह बात बड़े जीर से कही गई है कि चंकि सरकार ने 28 जून को पैरवी कर रखी है, इस लिये यहां पर कही गई कुछ बातों का प्रभाव उस पैरवी पर पढ़ने की बाशंका है। इस का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि मुझे इस बात का पूरा शक है कि ये लोग किसी संजीदगी भीर गम्भीरता के साय तेजा साहब को मचमुच यहां लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से धव तक सरकार ने बील वे रखा है--वह यहां भाए, उनके विसाफ़ बारंट था, उनको गिरफ्तार नहीं किया भीर दो दफा यहां से चले जाने दिया--जिस तरह से उनको कहा गया कि बुनाव के दिनों में हरगिज मत भाना, उसी तरह 28 जून को भी जब भगरीका में यह मुकदमा भायेगा, तो ये लोग भएनी तरफ से .... (म्यबदान) उपाध्यक्ष महोदय प्राप इन सोगों को खरा नियंत्रण में रिकार, ताकि ये कीग मेरी पूरी बात को समें, जिस तरह मैंने इन लोगों की बात समी 🖁 ।

Mr. Deputy-Speaker: I do not think you have any intention to assist the accused even indirectly and unwittingly. At the same time, you are indirectly suggesting that Govern-

. ....

ment she is trying to shield him. That is not fair.

बा॰ राम मनौहर लोहिया : क्यों नहीं, प्राव्हिर यह लोक समा किस लिए बनी है ?

श्री प्रति। भूषण वाजपेयी : लोक सभा इनका अखाड़ा वन गई है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, भाप भपने प्रधिकार की सीमा की समझिए ।

Shri D. C. Sharma: Is it proved that he was here twice after the cases has been registered against him and he was allowed to go away? It is a very serious thing.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे घिषकार की सीमा है, वैसे ही मापके भी मिषकार की सीमा है घौर उस सीमा के रहते हुए भाप मेरी वात को सुनिये। जब बात तोड़ दी जाती है, ..... (व्यवकान) देखिए, मामला कहां तक ....

Mr. Deputy-Speaker: Please be brief.

डा॰ राम मनोहर लंहिया: उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? जब भीर सदस्य बोलते हैं, तब भाप "वि भ्रीफ" तो महीं कहते ।

श्री शिंश भूषण वाक्येयी: पायंट धाफ आंडर, सर । उपाध्यक्ष महोदय, मैं धापसे शार्षना करना चाहता हूं कि धगर किसी एक्यूज्य की चिट्ठी को सही मान लिया जायेगा, तो धाईन्या के लिए यह बहुत क्तरे की बात होगी । हम उस व्यक्ति पर कभी विश्वास महीं कर सकते । सारा देश उस पर धाविश्वास करता है । उस ने देश का धन मूटा है । हमारी पुलिस उसके पीछे पड़ी है और एक एक धादमी उसको पकड़ना चाहता है । धगर ऐसे व्यक्ति की चिट्ठी को सही माना जायेगा, तो यह प्रस्ता बात होगी । मैं इस बारे में मायकी क्सिंग पाहका हूं ।

,.. , ... .

Mr. Deputy-Spraker: Rule 352 is very clear. It says:

"A member while speaking shall not—(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending."

भी मचु लिमये : इस पर क्या जुडिकल डिक्रियन है ? इस पर कोई जुडिकल डिसियन नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker: It is called sub-judice. Therefore, this will not so on the records.

डा॰ राम मनीहर नौहिया : जो वार्ते मैं कह रहा हूं, उस पर कोई बुडिनल डिसियन नहीं है । उपाध्यक महोदय, जैसे धाए उनके लिये उदार ये, बैसे ही धाए मेरे लिये भी उदार रहिये । (स्थापन) धाए मेरे जिये उदार नहीं हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: This is unfair.

Shri Govinda Menon: This is an insinuation against the Chair which, as a Member of this House, I would object to.

डा॰ राम ननीहर लोहिया: यह मामना सरकार के अंचे मिचर तक पहुंच जाता है। मैंने अक्सर इस सबन में देखा है कि अगर सरकार के इसर-जबर के नोगों पर हमना हो, तो ठीक है, नेकिन जब सर्वोच्च मिचर पर हमना हो जाता है, तो आप लोग इस तरह इस्पटाने नग जाते हैं, जैसे मछली नदी के बाहर निकास दी गई हो। इसलिये आप छटपटाइये मत बीर बेरी बात को स्थानपूर्वक सुनिये। (व्यवकान)

ं भी क्षति भूगन पालपेनी : जब इन पर इनमा होता है, तो इनके बाबी कटपटाते हैं। बा॰ राम मनीहर लोहिया: जो मुकदमा
28 जून को हो रहा है, मुसे ऐसा नगता है
कि सरकार की त.फ से यह कीशिय हो सकती
है—मिनच्य भाषको बतायेगा—कि सम्बान
चलाए । समरीका में प्राइवेट सेक्टर धौर
पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में .....
(स्यवधान)

Shri C. R. Bh: tta: haryya (Raiganj): This is all speculation that Dr. Lohia is doing of what is going to happen in the future. Is he a prophet?

द्वा० राम मनोहर लौ हिया: उपाध्यक्ष महोदय, यह नया बार है ? वे लोग बहुत ज्यादा सहेवाजी कर रहे थे। मैं तो अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। उन्होंने यही कहा है न कि यहां को बहस के कारण उनको 28 जून की अपना मुक्दमा चलाना मुक्किल हो जावेगा ? ये लोग जान-जूझ कर अपना मुक्दमा अच्छी तरह नहीं चलायेंगे, उस को यहां नहीं लायेंगे और अगर लायेंगे भी .... (अवज्ञान)

Ur. V. E. R. V. Sao: I challenge that: I repudiate that. Certainly not. Why do you make allegations (Interruptions)?

नी मनु लिमवे : रिपूडिएट करने से नया होता है ? (स्थननान)

का॰ राम मनोहर सीहिया: क्या वाहियात बात कह रहे हो ? क्या नहीं आती है? बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हो ..... (ब्यवधान) तुम लोगों को कम नहीं आती है ? (ब्यवधान) वेक्य लोग हि । जितनी गर्मी मुझ पर विकार हो हो ..... (ब्यवधान) कल का छोकरा यहां पर गर्मी दिखाने आया है। (ब्यवधान) कल तक पढ़ाया करता था, अभी राजनीति में आया है, आज मुझ पर गर्मी विकान अया है । क्या यह कोई तरीका है? (ब्यवधान) जा कर गर्मी और कहीं विकान । यह गर्मी की बयह नहीं है। (ब्यवधान) तुम्हारे जुले हुजारों ..... (ब्यवधान)

7410

भी सन्ति भूषण वाक्येंगी : क्या ये जोर करके किसी को दवायेंगे ? ये पणासों क्या इस प्रकार का ड्रामा कर चुके हैं। यह ड्रामा घर यहां नहीं चल सकता है। मैं इनसे ज्यादा बोट लेकर यहां घाया हूं। ये बोबा देना चाहते हैं। ये डेमोकेसी धौर प्रकातन्त्र की हत्या करना चाहते हैं। (अश्ववान)। Mr. Deputy-Speaker: In view of the tone and temper of the discussion which brings down the dignity of the House, I adjourn the House till 11.00

A.M on Monday.

## 18.50 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, June 26, 1967/Asadha 5, 1889 (Saka).